

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स



स्काउट/गाइड ग्रुप की मान्यता के लिए

आवेदन - पत्र

(स्काउट और गाइड ग्रुपों के लिए अलग-अलग फार्म प्रयोग में लिए जावें)

जिला

तहसील

स्थानीय संघ

मण्डल संघ

ग्रुप प्रारम्भ करने की तिथि

ग्रुप का पूरा नाम

पोस्ट ऑफिस

ग्रुप विद्यालय या किसी अन्य संस्था द्वारा
अधिकृत है अथवा "स्वतन्त्र" है।

प्रस्तावित अधिकारी

पद	नाम	आयु	प्रशिक्षण शिविर के प्रमाण पत्र की संख्या, स्थान व तिथि
ग्रुप लीडर			
यूनिट लीडर			
सहायक यूनिट लीडर			
1			
2			
3			

संख्या-कब	स्काउट	रोवर	स्काउटर	योग
संख्या-बुलबुल	गाइड	रेन्जर	गाइडर	योग

ह. स्काउटर/गाउटर

- हमारे स्काउट/गाइड ग्रुप को मान्यता देने के लिये निवेदन करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ कि:
- (1) इस कार्य को चलाने के लिए आवश्यक धन व अन्य सहायता ग्रुप को संस्था की ओर से प्राप्त होती रहेगी।
 - (2) ग्रुप एसोसिएशन के अनुशासन को स्वीकार करता हुआ, ए.पी.आर.ओ. में निर्धारित नीति व नियमों का पालन करेगा व कार्य को आगे बढ़ाने में पूरा-पूरा योग देगा।
 - (3) ए.पी.आर.ओ. के नियमानुसार ग्रुप कमेटी का गठन कर लिया गया है पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र संलग्न है।

ह. संस्था प्रधान मय सील

(2)

प्रमाणित किया जाता है कि नियमानुसार ग्रुप कमेटी का पंजीकरण कर लिया गया है विवरण संलग्न है। अतः मान्यता दिये जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत है।

दिनांक

ह. सचिव स्था. संघ

प्रभारी सहायक जिला आयुक्त (स्का./ गा.)

ह. मण्डल सचिव

ह. सहा. राज्य संगठन आयुक्त (स्का./ गा.)

ह. मण्डल मुख्य आयुक्त

मण्डल मुख्यालय

स्वीकृति है

राज्य सचिव

राज्य संगठन आयुक्त (स्का./ गा.)

राज्य आयुक्त (स्काउट / गाइड)

राज्य मुख्यायुक्त


पंजीकरण संख्या

मान्यता की तिथि

ग्रुप का नाम वॉ (.....)

नोट:- इस फार्म की चार प्रतियाँ बनाकर स्थानीय संघ के सचिव के पास भेज दी जावे जो कि इन्हें मण्डल सचिव के पास आवश्यक कार्य के लिए भेज देंगे। इसके साथ निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क व व्यक्तिगत पंजीकरण शुल्क भी भेजा जावे।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स



विद्यालय/गुप

गुप कमेटी पंजीकरण फार्म

(नोट - गुप कमेटी एक वर्ष के लिए पंजीकृत की जावेगी । गुप कमेटी प्रतिवर्ष पंजीकृत की जावेगी ।)

क्र.सं.	नाम व पद	पता	
1.			अध्यक्ष
2.			उपाध्यक्ष
3.			कोषाध्यक्ष
4.			सदस्य
5.			"
6.			"
7.			"
8.			"
9.			"
10.			(गुप लीडल व सचिव/संयोजक)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक को नियमानुसार उपरोक्त सदस्यों की एक गुप कमेटी का गठन किया गया है । अतः स्वीकृति हेतु प्रेषित है ।

ह. स्काउटर/गाइडर

ह. संस्था प्रधान

उपरोक्त गठित गुप कमेटी को नियमानुसार सत्र के लिए पंजीकृत किया जाता है ।

सचिव
स्थानीय एसोसिएशन

प्रभारी सहा. जिला कमि. (स्का./गा.)
स्थानीय एसोसिएशन